न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–07 / 2022–23

प्रथम पक्षः–राम विनित पाठक, ग्राम–सिमरिया खुर्द, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–संदीप कुमार सिंह एवं अन्य, ग्राम–सिमरिया खुर्द, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1	2	3
15/12/2023	आदेश	

इस वाद की प्रक्रिया प्रथम पक्ष राम विनित पाठक पिता–दुर्गादत्त पाठक, साकिन–सिमरिया खुर्द, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा के विद्वान अधिवक्ता के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया। इस वाद में द्वितीय पक्षकार संदीप सिंह एवं अन्य (03) हैं। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	मधे रकबा
बन्हें	71	899	1.30 एकड़	1.22 एकड़

प्रथम पक्षकार द्वारा यह मामला दोहरी जमाबन्दी को लेकर लाया गया है। उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत बिगु पाठक हैं। भवानी पाठक के दो पुत्र बिगु पाठक एवं खेमा पाठक थे। बिगु पाठक के नावल्द मरने के बाद खेमा पाठक हीं वारिशान हुए। खेमा पाठक के वारिशान दुर्गादत्त पाठक के नाम से पंजी–2 में प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी चल रही थी। आवेदक रामविनित पाठक ने 0.08 एकड़ भूमि इसी भू–खण्ड में वारिश सुत्रों के आधार पर कान्ती देवी को बिक्री किया है। 1.22 एकड भूमि इस खाता–प्लॉट में अवशेष है, परन्तु 0.92 एकड़ हीं पंजी–2 में दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने लिखित कथन में यह भी उल्लेख किया है कि 1.30 एकड़ भूमि की जमाबन्दी इसी खाता–प्लॉट में संदीप कुमार सिंह वो राजकिशोर सिंह दोनों के पिता–प्रमोद कुमार सिंह तथा प्रदीप कुमार सिंह, पिता–भगवान सिंह ने साजिश के तहत् गलत केवाला बनाकर दोहरी जमाबन्दी करा लिया है। इन्होंने दोहरी जमाबन्दी को निरस्त करने हेतु आग्रह किया है।

P 02/24
P 03/24
CC issued

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से यह कहा है कि द्वितीय पक्षकारों ने निबंधित केवाला से यह भूमि प्राप्त किया है तथा अंचल कार्यालय में नामान्तरण वाद संख्या–784 / 07–08 के द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबन्दी पंजी–2 में कायम किया है। प्रथम पक्षकार ने इस नामान्तरण के विरूद्ध तय सीमा के अन्दर अपील / रिविजन नहीं किया है, जिसके कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करने योग्य है। इन्होंने लिखित कथन में यह भी उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खाता–प्लॉट की भूमि के संदर्भ में टाईटल सूट भी

Scanned with OKEN Scanner

व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, जिसका वाद संख्या–111/2023 है। द्वितीय पक्ष ने वर्णित परिपेक्ष्य में इस वाद को खारिज करने हेतु आग्रह किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्षकार जहां खतियानी रैयत के वैध उतराधिकारी के आधार पर अपना दावा कर रहें हैं, वहीं द्वितीय पक्ष निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहें हैं। यद्यपि प्रथम पक्ष का तर्क है कि निबंधित केवाला खतियानी रैयत के वैध उतराधिकारी से द्वितीय पक्ष को नहीं किया है, जबकि गलत ढंग से केवाला कराकर प्रश्नगत भूमि पर दावेदारी कर रहें हैं तथा मामला दोहरी जमाबन्दी का बना दिये हैं। स्पष्ट है कि एक हीं भूमि पर दो–दो प्रकार की जमाबन्दी चल रही है, जिसके कारण उभय पक्षों के बीच दखल–कब्जा को लेकर विवाद चल रहा है। यद्यपि व्यवहार न्यायालय में भी उभय पक्षों के बीच इसी खाता–प्लॉट की भूमि पर टाईटल सूट भी चल रहा है। अतः सक्षम न्यायालय में इसी खाता–प्लॉट की भूमि पर टाईटल सूट चलने के कारण इस वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई इस न्यायालय में समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

15/12/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

P-01/23
P-09/23
CC Issued

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:13:10 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner